## विचार बिन्दु

चापलूसी का ज़हरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझ कर पी न जाएँ। –प्रेमचंद

# राजस्थान में ग्रामीण कनेक्टिविटी का वर्तमान स्वरूप

राजस्थान, अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और चौड़ी रेतीली भूमि के लिए जाना जाता है। ग्रामीण भारत की तरह यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है और ग्रामीण कनेक्टिविटी, अर्थात् सड़कों, परिवहन, डिजिटल नेटवर्क और आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से लोगों के आपसी और बाहरी संपर्क की स्थिति, क्षेत्र की समृद्धि और सामाजिक–आर्थिक विकास का मूल आधार है। पिछले कुछ दशकों में राजस्थान ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखे हैं, पर चुनौतियाँ अभी भी व्यापक स्तर पर मौजूद हैं। पहले पहल सड़कों और भौतिक कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राज्य–स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत से दूरदराज़ गाँवों को कच्ची पगडंडियों और मृदा मार्गों से पक्का किया गया। इससे कृषि उपज बाज़ार तक पहुँचने, स्वास्थ्य व शैक्षिक संस्थाओं तक समय पर पहुँचना तथा रोजगार के अवसरों तक यात्रा करना सुलभ हुआ। हालांकि, हवाओं और भीषण मानसून के बाद भी कुछ क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और नियमित मेंटेनेंस की कमी से गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी की चुनौती बनी रहती है। राजमार्गों और अंत:राज्यीय सड़क नेटवर्क ने तो शहरों को जोड़ रखा है, पर छोटे गावों और कृषि पिनकोडों तक आने वाले सार्वजनिक परिवहन की आवृत्ति सीमित रहती है। ग्रामीण परिवहन सेवाओं में निजी ऑटो, बस या साझा टैक्सियाँ सामान्य हैं, पर ये गैर–मानकीकृत और कभी–कभी महँगी भी हो सकती हैं, जिससे सतत गतिशीलता पर असर पड़ता है। इसके साथ ही, राजस्थान के ऊँचे तापमान और रेगिस्तानी इलाकों में दूरियाँ लंबी होने के कारण ईंधन व लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है, जो कनेक्टिविटी की समस्या को बढ़ाती है।

डिजिटल कनेक्टिविटी का आयाम हाल के वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं और दूरसंचार कंपनियों के विस्तार से गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंच में बड़ा उछाल आया है। स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट ने बैंकिंग, कृषि जानकारी, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं को गाँवों तक पहुँचाने में मदद की है। फिर भी डिजिटल विभाजन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई दूरदराज़ और पहाड़ी/रेतीले इलाकों में नेटवर्क कवरेज अस्थिर रहता है; किफायती डेटा पैक्स के बावजूद डिजिटल साक्षरता, डिवाइस–एक्सेस और स्थानीय भाषा में उपयुक्त सामग्री की कमी लोगों को पूरी तरह डिजिटल सेवाओं से वंचित कर देती है। साथ ही बिजली की अनियमित आपूर्ति और चार्जिंग सुविधाओं की कमी भी स्मार्टफोन आधारित कनेक्टिविटी को प्रभावित करती है। इसलिए डिजिटल कनेक्टिविटी में पहुंच बढ़ाने के लिए अवसंरचना के साथ–साथ कौशल विकास और स्थानीय भाषा–आधारित कंटेंट पर ध्यान देना जरूरी है।

सामाजिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के हिसाब से ग्रामीण इलाकों का समेकन बाजारों एवं सेवाओं से जुड़कर हुआ है। उदाहरण के लिए, कृषि–उत्पादों की बाज़ार पहुंच के लिए मंडियों और रीयल–टाइम प्राइस सूचना का होना किसानों को बेहतर दाम दिलाने में सक्षम बनाता है। ई–ग्रामीण–हाट और ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने कुछ हद तक छोटे उत्पादकों के लिए बाजार खोले हैं, पर लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानक और ब्रांडिंग जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। राजस्थान में हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों का बड़ा भंडार है; यदि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए खासकर परिवहन और कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स के माध्यम से तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाने की संभावना और बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक शाखाओं की संख्या घटने के बाद भी मोबाइल बैंकिंग और बैंकिंग–सम्बन्धी सेवा केंद्रों ने काम चलाया है, पर डिजिटल धोखाधड़ी और सीमित वित्तीय साक्षरता जोखिम बने हुए हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा की कनेक्टिविटी भी ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता का निर्णायक घटक है। ग्राामीण अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क तो व्यापक है, पर उनकी सेवाओं की गुणवत्ता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति और आपातकालीन परिवहन की सीमाएँ अक्सर ग्रामीणों को शहरों का रुख करने पर विवश करती हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं ने काफी मदद दी है, विशेषकर कोविड–19 महामारी के बाद, पर भरोसेमंद इंटरनेट और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्लासरूम और दूरस्थ शिक्षण से बच्चों को लाभ पहुंचा है, पर शिक्षक–शिक्षण की गुणवत्ता, भौतिक कक्षाओं की स्थिति और छात्र–छात्राओं के पास डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता में असमानता दिखती है। इससे किन्हीं क्षेत्रों में शैक्षिक परिणामों और दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास पर फर्क पड़ता है।

**भविष्य की दिशा में राजस्थान के ग्रााामीण कनेक्टिविटी के लिए कई संभावनाएँ हैं। एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें सड़क, परिवहन, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा, जल और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलें शामिल हों, सबसे प्रभावी साबित होगा। हाइब्रिड समाधान जैसे सौर-पावर्ड मोबाइल टावर, माइक्रो-लॉजिस्टिक्स हब, कम लागत वाले ई-वाहन और स्थानीय भाषा में डिजिटलीकरण ग्रामीण कनेक्टिविटी को तेजी से मजबूत कर सकते हैं।**

ऊर्जा और जल जैसी आधारभूत कनेक्टिविटी का भी ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। सौर पम्प, सोलर–ऑन–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड सिस्टम ने न केवल बिजली पहुंचाने में योगदान दिया है बल्कि कृषि, घरेलू उपयोग और लघु उद्योगों को सशक्त किया है। फिर भी, बैटरी–भंडारण, मेंटेनेंस और लागत संबंधित मुद्दे हैं जिन पर निरंतर काम होना चाहिए। जल स्त्रोतों और सिंचाई नेटवर्क के बेहतर कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादन में सुधार आ सकता है; पर राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में पानी की दूरी, वितरण तंत्र और सिंचाई संरचनाओं का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। नहरों और ट्यूबवेल्स के साथ ग्रामीण सड़कों का समन्वय, तालाबों का संरक्षण और स्थानीय जल संचयन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और जीविकोपार्जन दोनों को सुदृढ़ कर सकते हैं।

सुरक्षा व आपात–प्रतिक्रिया नेटवर्क भी ग्राामीण कनेक्टिविटी का हिस्सा हैं। बाढ़, सूखा, भूस्खलन या दूसरे प्राकृतिक आपदाओं के समय तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी जीवन रक्षक होती है। राजस्थान में आपदा प्रबंधन के लिए सूचना तंत्रों और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, पर दूरदराज इलाकों में चेतावनी प्रणाली और त्वरित सेवा पहुँचाने के साधनों का विकास और ज़रूरी है। सामुदायिक स्तर पर रेडियो और मोबाइल अलर्ट सिस्टम तथा स्थानीय स्वयंसेवी नेटवर्क को सशक्त करने से आपदा प्रबंधन में सुधार सम्भव है।

राजनीतिक व प्रशासनिक कनेक्टिविटी – यानी नीतियाँ, बजट प्रवाह, और योजना–नियमन ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई है। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएँ जैसे PMGSY, ग्रामीण शौचालय, जल जीवन मिशन, और डिजिटल इंडिया ने संसाधनों और दिशा–निर्देशों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डाला है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण विकास के लिए कई प्रकल्प और प्रतियोगी नीतियाँ लागू की हैं। पर चुनौतियाँ ऐसी हैं कि योजनाओं का प्रभाव अक्सर स्थानीय कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता और निगरानी पर निर्भर करता है। संसाधनों का रखरखाव और स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना निवेश का दीर्घकालिक लाभ सीमित रह जाता है।

संस्कृति और सामाजिक संरचना भी कनेक्टिविटी की व्याख्या में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण राजस्थान की जमीनी संस्कृति, जातीय–सामाजिक ढाँचा और परम्पराएँ सामाजिक नेटवर्किंग का आधार हैं। यह सामाजिक कनेक्टिविटी सामुदायिक संसाधनों के साझा प्रबंधन, स्थानीय स्थायी विकास और एक दूसरे के सहयोग का आधार बनती है। परंतु कभी–कभी सामाजिक बंदिशें, लैंगिक असमानता या मान्यताएँ महिलाओं और वंचित वर्गों की कनेक्टिविटी–चाहे आर्थिक हो या डिजिटल–को बाधित कर देती हैं। इसलिए समावेशी नीतियाँ और स्थानीय जन–साक्षरता कार्यक्रम भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश।

भविष्य की दिशा में राजस्थान के ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए कई संभावनाएँ हैं। एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें सड़क, परिवहन, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा, जल और सामाजिक–सांस्कृतिक पहलें शामिल हों, सबसे प्रभावी साबित होगा। हाइब्रिड समाधान जैसे सौर–पावर्ड मोबाइल टावर, माइक्रो–लॉजिस्टिक्स हब, कम लागत वाले ई–वाहन और स्थानीय भाषा में डिजिटलीकरण ग्रामीण कनेक्टिविटी को तेजी से मजबूत कर सकते हैं। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय बाज़ारों का आधुनिकीकरण, संग्रह व पैकेजिंग सुविधाएँ, तथा छोटे–छोटे ठंडे भंडारों का जाल बनाना चाहिए जिससे उत्पादों की वैल्यू बढ़े। साथ ही, डिजिटल साक्षरता का विस्तृत मिशन, विशेषकर महिलाओं व युवा वर्ग के लिए, और स्थानीय कंटेंट क्रिएशन पर जोर देना आवश्यक होगा ताकि तकनीक का लाभ वास्तविक अर्थों में नींव तक पहुँचे।

राजस्थान में ग्रामीण कनेक्टिविटी का वर्तमान स्वरूप मिली–जुली तस्वीर पेश करता है जहाँ पक्की सड़कों, मोबाइल कवरेज, और सरकारी योजनाओं की बदौलत कई सुधार हुए हैं, वहीं गुणवत्ता, रखरखाव, डिजिटल साक्षरता, ऊर्जा एवं जल–संरचनाओं की सीमाएँ और सामाजिक–असमानताएँ बनी हुई हैं। इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए न केवल वित्तीय निवेश, बल्कि स्थानीय क्षमता निर्माण, टेक्नोलॉजी का उपयुक्त उपयोग, और समुदाय–आधारित योजनाओं की आवश्यकता है। यदि इन सभी पहलुओं पर समन्वित नीति और निरंतर निगरानी की जाए तो राजस्थान के ग्रामीण इलाके न केवल बेहतर जुड़े हुए दिखेंगे बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में भी उल्लेखनीय उछाल लाने में सक्षम होंगे।

**–अतिथि संपादक,**
**अविनाश जोशी,**
**वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार**

# समान नागरिक संहिता : डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि, संवैधानिक पंथनिरपेक्षता और राजस्थान का वर्तमान संदर्भ



**सूर्यप्रतापसिंह राजावत**

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code—UCC) भारत के संवैधानिक विमर्श में केवल व्यक्तिगत कानूनों के सुधार का विषय नहीं है, बल्कि समान नागरिकता, पंथनिरपेक्षता, विधि के शासन और सामाजिक न्याय से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। किसी पंथनिरपेक्ष राज्य का आधार यह है कि राज्य नागरिकों के नागरिक अधिकारों और दायित्वों को केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अलग–अलग न निर्धारित करे। भारतीय संविधान की पंथनिरपेक्षता संविधान की Basic Structure का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए यूसीसी की बहस को किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में न देखकर समान नागरिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन के रूप में समझना अधिक उचित होगा।

इस संदर्भ में 23 नवम्बर 1948 की संविधान सभा की बहस अत्यंत महत्वपूर्ण है। Draft Article 35 पर चर्चा करते हुए डॉ. भीमराव डॉ अम्बेडकर ने यूसीसी के संबंध में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो आज भी इस बहस की दिशा निर्धारित कर सकता है। Draft Article 35 ही आगे चलकर संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में अस्तित्व में आया। डॉ. अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण कथन था कि यह प्रश्न कि भारत में Uniform Civil Codes बनाया जा सकता है या नहीं, अब कुछ हद तक अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि भारत पहले ही उस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा एकरूप कर चुका था जिसे Civil Code के अंतर्गत समझा जा सकता है। उनका प्रसिद्ध कथन था:–"It is therefore too late now to ask the question whether we could do it.As I say, we have already done it." इस कथन का अर्थ यह नहीं था कि उस समय भारत में आज की परिकल्पना वाला पूर्ण यूसीसी मौजूद था। बल्कि डॉ. अम्बेडकर यह बता रहे थे कि भारतीय विधि व्यवस्था पहले ही अनेक नागरिक क्षेत्रों में धर्म–आधारित अलग–अलग कानूनों से आगे बढ़कर समान कानून अपना चुकी थी। इसलिए यह कहना कि भारत की विविधता के कारण नागरिक विधि में कोई एकरूपता संभव ही नहीं है, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

यूसीसी और पंथनिरपेक्ष राज्य :पंथनिरपेक्षता का अर्थ धर्म–विरोध नहीं है। भारतीय पंथनिरपेक्ष ता का मूल विचार यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान संवैधानिक दृष्टिकोण रखे और नागरिक अधिकारों की गारंटी धर्म की पहचान से स्वतंत्र रूप से करे। इसी कारण यूसीसी को धर्म समाप्त करने वाले कानून के रूप में देखना उचित नहीं है। विवाह की धार्मिक विधि, पूजा–पद्धति, धार्मिक संस्कार और सांस्कृतिक परम्पराएँ एक विषय हैं; जबकि विवाह के नागरिक परिणाम, तलाक, भरण–पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषय दूसरे हैं। यूसीसी का मुख्य संबंध दूसरे क्षेत्र से है। यही अंतर की संवैधानिक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर का ऐतिहासिक तर्क–संविधान सभा में डॉ अम्बेडकर ने उस धारणा को चुनौती दी कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पूरे भारत में प्राचीन काल से एक समान और अपरिवर्तनीय रहा है। उन्होंने North-West Frontier Province का उदाहरण दिया और बताया कि 1935 तक वहाँ मुस्लिम समुदाय के उत्तराधिकार आदि के मामलों में हिन्दू कानून का प्रभाव था। बाद में विधायी हस्तक्षेप द्वारा शरियत कानून लागू किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 1937 से पहले United Provinces, Central Provinces और Bombay के अनेक हिस्सों में मुसलमानों के उत्तराधिकार संबंधी मामलों में हिन्दू कानून लागू होता था। 1937 के Shariat Acts के माध्यम से इस स्थिति में परिवर्तन किया गया। यह उदाहरण डॉ. अम्बेडकर के तर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि व्यक्तिगत कानूनों का इतिहास स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं रहा है। वे क्षेत्र, समाज और विधायी निर्णयों के अनुसार बदलते रहे हैं।

Marumakkathayam का महत्व–डॉ अम्बेडकर ने North Malabars kesâ Marumakkathayam Law का भी उल्लेख किया। यह एक मातृवंशीय व्यवस्था थी जो केवल हिन्दुओं तक सीमित नहीं थी; वहाँ मुसलमान भी इसके अधीन थे। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में धार्मिक पहचान और नागरिक कानून का संबंध हमेशा सीधा और एकरेखीय नहीं रहा। भारतीय समाज में ऐसे अनेक customary laws रहे हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक धार्मिक समुदायों पर पड़ा। इसलिए यूसीसी पर स्वस्थ और तथ्यपरक बहस के लिए Hindu Law, Shariat Law, Marumakkathayam और अन्य customary laws के ऐतिहासिक विकास का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। व्यक्तिगत कानूनों को केवल वर्तमान धार्मिक पहचान के चश्मे से देखना उनके ऐतिहासिक स्वरूप को अधूरा समझना होगा।

आपराधिक कानून में ऐतिहासिक एकरूपता–भारत में विधिक एकरूपता का इतिहास केवल नागरिक कानून तक सीमित नहीं है। आपराधिक कानून के क्षेत्र में भी विभिन्न धार्मिक समुदायों ने एक समान विधिक व्यवस्था को स्वीकार किया। भारतीय मुसलमानों सहित सभी समुदायों पर लागू समान आपराधिक कानून की व्यवस्था ने यह प्रदर्शित किया कि धार्मिक विविधता और समान विधि साथ–साथ अस्तित्व में रह सकती हैं। इसी ऐतिहासिक अनुभव को नागरिक कानून के क्षेत्र में भी समझना आवश्यक है। जब अपराध और दंड के संबंध में समान कानून धार्मिक पहचान को समाप्त किए बिना लागू हो सकता है, तो नागरिक अधिकारों के कुछ क्षेत्रों में समानता की संभावना पर भी गंभीर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान का वर्तमान संदर्भ– डॉ. अम्बेडकर की 1948 की बहस आज इसलिए और अधिक प्रासंगिक हो गई है क्योंकि राजस्थान में 2026 में Uniform Civil Code की दिशा में विधायी पहल सामने आई है। राजस्थान सरकार द्वारा UCC Bill का मसौदा तैयार किया गया और विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

राजस्थान के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर की बहस का महत्व इसलिए है कि अब प्रश्न केवल सैद्धांतिक नहीं रह गया है। वास्तविक प्रश्न यह है कि राज्य नागरिक कानून में समानता को किस स्वरूप और किस विधायी तकनीक से लागू करता है। राजस्थान में यूसीसी पर विचार करते समय विवाह, तलाक, भरण–पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, विवाह–पंजीकरण तथा अन्य पारिवारिक नागरिक अधिकारों को संविधान के समानता और गरिमा के सिद्धांतों के साथ पढ़ना होगा। साथ ही राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, customary practices तथा संविधान द्वारा संरक्षित विशेष समूहों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है। इस प्रकार राजस्थान का यूसीसी प्रयास 1948 की संविधान सभा की बहस और वर्तमान विधायी वास्तविकता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

"Whether" से "How" तक डॉ. अम्बेडकर के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पर बहस को केवल इस प्रश्न पर समाप्त नहीं कर देना चाहिए कि क्या भारत यूसीसी लागू कर सकता है? उनका 23 नवम्बर 1948 का कथन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है: "We have already done it." आज इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि भारत में विधिक एकरूपता की प्रक्रिया पहले से चल रही है। इसलिए वर्तमान बहस का अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है: "How should a Uniform Civil Code be designed and implemented in India? " अर्थात्–उसका स्वरूप क्या होगा? किन विषयों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक समानता में संतुलन कैसे बनेगा? customary lawss का क्या होगा? संक्रमणकालीन व्यवस्था कैसी होगी? और अंततः उसकी संवैधानिक वैधता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

23 नवम्बर 1948 की संविधान सभा बहस में डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण आज भी यूसीसी के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक है। उन्होंने न तो भारत की विविधता को नकारा और न व्यक्तिगत कानूनों को अपरिवर्तनीय माना। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों से दिखाया कि भारत में कानून बदलते रहे हैं और विभिन्न समुदायों ने समान कानूनों को स्वीकार किया है। उनका दृष्टिकोण मूलतः विधिक समानता, ऐतिहासिक यथार्थ, सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया के संतुलन पर आधारित था। आज राजस्थान में यूसीसी की विधायी पहल इस ऐतिहासिक विमर्श को एक नए चरण में ले जाती है। इसलिए राजस्थान के संदर्भ में सही प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि यूसीसी किसी धर्म की जीत या हार है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या एक ऐसा समान नागरिक कानून बनाया जा सकता है जो संविधान की समानता और गरिमा की आकांक्षा को पूरा करते हुए भारत की बहुलतावादी संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करे। यही डॉ. अम्बेडकर की 23 नवम्बर 1948 की बहस का आधुनिक संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण संदेश है–Uniformity in Civil Rights, without Uniformity of Religion orCulture.

**–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,**
**अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर**

## खैरथल तिजारा जिले में 53 नामांकन पत्र हुए दाखिल

**खैरथल** । नगर निकाय आम चुनाव 2026 के तहत जिले की नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं में वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन गुरुवार को कुल 53 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें कुल 52 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया।

**■ तिजारा 41, भिवाड़ी 2, कोटकासिम 4, किशनगढ़ बास 5, टपूकड़ा 1, वहीं खैरथल और मुंडावर में एक भी नामांकन नहीं भरा गया**

नामांकन के प्रथम दिन नगर परिषद तिजारा में सर्वाधिक 41 नामांकन पत्र दाखिल हुए। वहीं नगर परिषद भिवाड़ी में 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिनमें 1 अभ्यर्थी शामिल है। इसी प्रकार नगरपालिका कोटकासिम में 4, किशनगढ़–बास में 5 तथा टपूकड़ा में 1 नामांकन पत्र दाखिल हुआ। जबकि नगर परिषद खैरथल एवं नगरपालिका मुंडावर में प्रथम दिन कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। नगर निकायवार स्थिति के अनुसार तिजारा में 35 वार्डों के लिए 41 नामांकन, खैरथल में 45 वार्डों के लिए कोई नामांकन नहीं, भिवाड़ी में 60 वार्डों के लिए 2 नामांकन, मुंडावर में 25 वार्डों के लिए कोई नामांकन नहीं, कोटकासिम में 20 वार्डों के लिए 4 नामांकन, किशनगढ़–बास में 25 वार्डों के लिए 5 नामांकन तथा टपूकड़ा में 20 वार्डों के लिए 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

# संस्कृत श्लोकों की गूंज के साथ मनाया संस्कृत दिवस

**लालसोट** (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में संस्कृत दिवस एवं स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजकुमार सिंह परमार ने की, जबकि संचालन कार्यक्रम अधिकारी राम खिलाड़ी मीना ने किया।

**■ संस्कृत दिवस के अवसर पर छात्राओं के बीच श्लोक पाठ प्रतियोगिता एवं सस्वर वाचन का आयोजन हुआ**

संस्कृत दिवस के अवसर पर छात्राओं के बीच श्लोक पाठ प्रतियोगिता एवं सस्वर वाचन का आयोजन हुआ। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मधुर स्वर में संस्कृत श्लोकों का वाचन किया। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को संस्कृत भाषा के महत्व तथा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया।

इसी दौरान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राजेश कुमार मीणा ने छात्राओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मत लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्राओं को मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सहायक आचार्य हरि सिंह मीणा, पवन कुमार नेनावत, श्यामसुंदर शर्मा, राजेश कुमार सैनी एवं नरेश कुमार सैनी मौजूद रहे।
उन्होंने छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षा के साथ नागरिक कर्तव्यों के महत्व को समझाया। महाविद्यालय की अनेक छात्राओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

अंत में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजकुमार सिंह परमार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत एवं मतदाता जागरूकता जैसे कार्यक्रम छात्राओं के शैक्षिणक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

# रक्षाबंधन से पहले रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर भीड़ रही

**जयपुर** । रक्षाबंधन से एक दिन पहले गुरुवार को जयपुर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

**■ त्योहारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा**

जयपुर जंक्शन के अलावा दुर्गापुरा, गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक हजारों यात्री परिवार और सामान के साथ अपने घर जाने के लिए पहुंचे। त्योहारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन में चढ़ने के दौरान कई जगह धक्का–मुक्की की स्थिति भी बनी। त्योहारी भीड़ का असर आरक्षित कोचों में भी नजर आया। यात्रियों ने बताया कि सीट कन्फर्म होने के बावजूद कोच के गेट तक पहुंचना मुश्किल रहा। परिवार के साथ यात्रा करने वालों को अधिक परेशानी हुई। वहीं, सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों की भीड़ और ज्यादा रही। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही यात्री पहले चढ़ने की होड़ में नजर आए।

रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में लोग जयपुर से गांव और दूसरे शहरों में जाते हैं। इसी के चलते जयपुर जंक्शन के साथ दुर्गापुरा, गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ गई। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें संचालित की हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण स्टेशनों पर भीड़ बनी हुई है।

## चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

**जयपुर** (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल प्रहरी भर्ती–2024 में अधिक अंक लाने के बावजूद आपराधिक प्रकरण छिपाने के आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव और डीजी जेल से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी वर्ग का एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विकम विशनोलिया की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील सिंगोदिया ने अदालत को बताया की कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 दिसंबर, 2024 को जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने शामिल होकर ओबीसी वर्ग की मेरिट में स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। याचिका में कहा गया कि गत 6 अगस्त को विभाग ने अस्थाई नियुक्ति आदेश जारी किए, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम इस आदेश में शामिल नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पर विभाग ने जानकारी दी कि उसने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी है।

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को अदालत ने उसे दोषसिद्ध कर परिवीक्षा का लाभ दिया गया था। अदालत ने भी अपने आदेश में लिखा था कि परिवीक्षा के तहत दोषसिद्धि के कारण वह किसी निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि परिवीक्षा का लाभ दिया गया है तो ऐसे प्रकरण के बारे में आवेदन पत्र में खुलासा किया जाना जरूरी नहीं है।

## राशिफल शुक्रवार 28 अगस्त, 2026



**पंडित अनिल शर्मा**

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 3:13 तक, अतिगंड योग प्रातः 7:28 तक, बव करण प्रातः 9:48 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–मिथुन, बुध–सिंह, गुरू–कर्क, शुक्र–कन्या, शनि–मीन राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज कुमार योग रात्रि 3:13 से सूर्योदय तक है। आज श्रावणी पूर्णिमा, सत्यव्रत, वरद लक्ष्मी व्रत, पंचक, श्रावणी उपाकर्म और कृष्ण यजुर्वेदी, जीवंतिका पूजन है। आज अमरनाथ यात्रा और कोकिला व्रत समाप्त होगा। आज रक्षाबंधन है। आज राखी बांधने का समय दिन 1:44 से दिन 4:16 तक और प्रदोष काल 6:48 से रात्रि 9:04 तक रहेगा।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:43 तक, लाभ–अमृत 7:43 से 10:53 तक, शुभ 12:28 से 2:03 तक, चर 5:13 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:48



**मेष**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



**वृष**

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें, कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।



**मिथुन**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



**कर्क**

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आज अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है।



**सिंह**

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



**कन्या**

घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।



**तुला**

महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



**वृश्चिक**

घर–परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा, सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



**धनु**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



**मकर**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



**कुंभ**

मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



**मीन**

घर–परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज मन में असंतोष बना रहेगा। आज परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।